न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 43/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/ बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

शोजीलाल आ0 ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी भीमगंज तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।
.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शम्भूदयाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 267/अपील/2017 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान श्योजी लाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 20.2.2018 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 25.9.2017 को अपीलार्थी को ग्राम भीमगंज के ख0 नं0 591, रकबा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक गे.मु.बरडा का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 1000/–रूपये एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.2.2018 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट न्यायालय, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.2.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट से निवेदन किया था अपीलांट ने कोई नया अतिक्रमण नही किया है तथा अपीलांट को भौतिक रूप से कभी बेदखल नही किया गया ऐसी स्थिति मे इस तथ्य की जांच किये बिना पारित आदेश निरस्तनीय है अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई निष्कर्ष दिये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। जितनी भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण बताया गया है उतना अतिक्रमण नही है अपीलांट 50 वर्षो से अधिक अवधि से मौके पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है ऐसी स्थिति मे नियमन के आदेश जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया था लेकिन इस तथ्य पर कोई गौर नही किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय मे यह भी निवेदन किया गया था कि दीर्घकालीन कब्जे के संबध मे साक्ष्य सबूत पेश करने का तहसीलदार हिण्डोली द्वारा कोई अवसर नही दिया जिससे अपीलांट के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का हनन हुआ है। बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट का सत्यापन तथा स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना केवल पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने के संबध मे बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया था उक्त तथ्यों के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अभिमत प्रकट नही किया। पश्चातवर्ती अतिक्रमी की फर्द बेदखली तलब नही की गई ना ही कोई साक्ष्य ली गई इसके बावजूद भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर सरकार के परिपत्र दिनांक 7.3.2017 की अनुपालना मे अपीलाधीन अतिक्रमित भूमि अपीलांट को नियमन करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि तहसीलदार द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस का अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया था तथा धारा 151 सीपीसी के तहत भी साक्ष्य व जांच करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा मौके की जांच किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अपीलांट भूमिहीन कृषक है जिसके पास आबादी मे कोई मकान नही है। पूर्वजो के समय से लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है एवं काश्त कर रहे है। पटवारी हल्का द्वारा 10 बीघा भूमि का अतिक्रमण बताया गया है वह गलत है। राज्य सरकार ने अतिक्रमण को नियमन करने के प्रावधान किये हुये है ऐसी स्थिति मे भूमि से बेदखल करने के बजाय नियमन किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किया कि विषयक भूमि राजकीय सिवायचक गै.मु.बरडा है जिस पर अपीलांट ने नाजायज अतिक्रमण किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तथ्यों का समुचित परीक्षण कर निर्णय पारित किया है अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अत निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड/आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर निर्णय दिनांक 25.9.2017 पारित किया है। अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक गैर मु. बर्डा है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अतिक्रमी को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही माना जा सकता। ऐसी स्थिति मे भौतिक रूप से बेदखल किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो अनुचित है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलांट का विषयक भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है अपीलांट द्वारा प्रकरण मे ऐसे कोई तथ्य/दस्तावेज पेश नही किये है जिससे अपीलांट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे विषयक भूमि का नियमन नही किया जा सकता तथा उक्त भूमि नियमन की श्रेणी मे नही आती है। अपीलांट को गत वर्ष भी उक्त भूमि से बेदखल किया जाना प्रमाणित है ऐसी स्थिति मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने भी प्रमाणित होता है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने भी प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील अपीलांट को निर्णय दिनांक 20.2.2018 से खारिज किया है ऐसी स्थिति मे हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नही है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
सभागीय आयुक्त
कोटा